2026:AHC: 3381

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 19591 वर्ष 2025

अवधेश यादव .....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य .....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : दीपक मौर्य, नीतू पाल

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता की विद्वान अधिवक्ता सुश्री नीतू पाल और राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री प्रेम शंकर मिश्रा को सुना गया।

2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा 06.01.2022 को उत्तर प्रदेश पुलिस वीडियो केंद्र में सहायक परिचालक के पद पर नियुक्ति के लिए 1374 रिक्तियों की अधिसूचना जारी की गई थी। याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने सहायक परिचालक के पद के लिए आवेदन किया था, हालांकि, याचिकाकर्ता के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 920 वर्ष 2017 से उत्पन्न आपराधिक मामला संख्या 557 वर्ष 2018, धारा 323, 504, 506 आईपीसी के तहत दर्ज किया गया था। याचिकाकर्ता को प्रवेश पत्र जारी किया गया, याचिकाकर्ता ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया और उसने प्रारंभिक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की, चिकित्सा परीक्षण के लिए बुलावा पत्र जारी किया गया, जिसे याचिकाकर्ता ने उत्तीर्ण भी कर लिया, लेकिन चयन सूची में क्रम संख्या 241 पर नाम होने के बावजूद उसे नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया है। तर्क यह है कि शासनादेश दिनांक 28.04.1958 और जिला मजिस्ट्रेट की अनुकूल रिपोर्ट दिनांक 01.09.2025 के आलोक में नियुक्ति दी जानी चाहिए थी और केवल एक आपराधिक मामले का लंबित होना चयन के लाभों से वंचित करने का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि शासनादेश दिनांक 28.04.1958 स्वयं यह प्रावधान करता है कि केवल लंबित होना नियुक्ति से वंचित करने का आधार नहीं था। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

है कि **अवतार सिंह बनाम भारत संघ: (2016) 8 एस.सी.सी. 471** के साथ-साथ **रवींद्र कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य: (2024) 5 एस.सी.सी. 264** के मामले में दिए गए निर्णय के आलोक में याचिकाकर्ता नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का पात्र है।

3. विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय प्रतिवादी संख्या 4, उप महानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार), लखनऊ द्वारा किया जाएगा।

4. न्यायालय के समक्ष दी गई दलीलों पर विचार करते हुए, इस रिट याचिका को इस निर्देश के साथ **निस्तारित** किया जाता है कि याचिकाकर्ता **22.01.2026** तक प्रतिवादी संख्या 4, उप महानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार), लखनऊ के समक्ष रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करे। तत्पश्चात, प्रतिवादी संख्या 4 तीन महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लेंगे। यदि प्रतिवादी संख्या 4 की यह राय है कि मामले का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना आवश्यक है, तो कागजात उसे प्रेषित कर दिए जाएं।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

7 जनवरी, 2026
राजेश

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।